



संख्या-32/2022/77-3002(003)/3/2022/001-1140

प्रेषक,

अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ० प्र० शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
यूपीडा, पर्यटन भवन
गोमतीनगर लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 25 जुलाई, 2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता की मद में उपलब्ध धनराशि में से धनराशि **रु० 1657600000/-** की मांग के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक **1101/यूपीडा/08/147**, दिनांक **20.07.2022** का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज की धनराशि निर्गत करने हेतु शासन से अनुरोध किया गया है।

2. इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या **07** के लेखाशीर्षक "**2852-उद्योग 80-सामान्य 800-अन्य व्यय-15-यूपीडा** द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता **20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)**" में **रु० 593.61** करोड का प्राविधान किया गया है जिसके सापेक्ष शासनादेश सं**0-12/2022/001-501-77-3-2022** दिनांक **18.04.2022** द्वारा **रु० 1439597640/-** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी। सम्प्रति निर्गत करने हेतु धनराशि **रु० 449.66** करोड अवशेष है। उक्त प्राविधानित अवशेष राशि में से पंजाब नेशनल बैंक से लिये गये ऋण पर देय ब्याज दिनांक **01.07.2022** से **30.09.2022** तक **रु० 1657600000/-** (रु० एक अरब पैंसठ करोड छिहत्तर लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

I/194040/2022

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- (1) धनराशि का आहरण कर यूपीडा के बैंक खाते अथवा किसी बात बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी बल्कि जिस बैंक खाते से ऋण की धनराशि आहरित की गयी है उसी बैंक खाते में ब्याज की धनराशि जमा की जायेगी।
- (2) उक्त धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।
- (3) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र यथासमय शासन की उपलब्ध कराया जायेगा।
- (4) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त आय व्ययक अनुभाग- 1 के शासनादेश सं **0-13/2022/बी- 1-454/ दस- 2022-231/2022** दिनांक **07.06.2022** मे द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये **1,65,76,00,000** (रुपये एक अरब पैंसठ करोड़ छिहत्तर लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष **2022-23** के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 2852808001500** यूपीडा द्वारा पूर्वाचल एक्सप्रेस-वे के निर्माण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता **मानक मद 20** सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - **13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022**, दिनांक- **07-जून 2022** में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधित्व अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Signed by अनिल कुमार

Date: 25-07-2022 16:40:51 (अनिल कुमार)

Reason: Approved

संयुक्त सचिव,

उ 0 प्र 0 शासन।

संख्या- 32 /**2022/77-3002(003)/3/2022/001-1140**, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

I/194040/2022

4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
5. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन ।
6. वित्त (ई-6) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8. नोडल, बजट एलाटमेन्ट सिस्टम।
9. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार),
संयुक्त सचिव,
उ० प्र० शासन।